Office of the Comptroller & Auditor General of India
New Delhi -110 124

(For exclusive use in IA&AD and not to be quoted or published elsewhere)

Circular No. 49 - Staff (App 1)/2019
No. 1376 - Staff (App 1)/16-2018
Dated: 22.11.2019

To

1. All the Heads of Department in the IA&AD
2. The Director General (Exam)
3. The Pr. Director (Commercial)
4. The Pr. Director (IR & Training)
5. The Director (P)

Subject: **Recruitment Rules for the posts of Sr. Accounts Officer/Sr. Audit Officer (Level 10) in Indian Audit and Accounts Department.**

Sir/Madam,

I am to enclose a copy of Recruitment Rules for the posts of Sr. Accounts Officer/Sr. Audit Officer in Indian Audit and Accounts Department, notified in Gazette of India, Part II Section 3 Sub-Section (i) vide GSR No. 860(E) dated 18.11.2019 published in Gazette of India on 20.11.2019.

2. It is stated that the posts of Accounts Officer/Audit Officer have been merged with the posts of Sr. Accounts Officer/Sr. Audit Officer. Accordingly, the feeder cadre for promotion to the posts of Sr. Accounts Officer/Sr. Audit Officer is Assistant Accounts Officer/Assistant Audit Officer.

3. As per Column 11 of the Schedule of the Recruitment Rules, the eligibility criteria for promotion to the posts of Sr. Accounts Officer/Sr. Audit Officer is Assistant Accounts Officer/Assistant Audit Officer in Level - 8 (Rs. 47600-151100) of the pay matrix with seven years of regular service including service rendered in non-functional grade of Level - 9 (Rs. 53100-167800) of the pay matrix and having successfully completed mandatory training of two to four weeks in the field as prescribed by the department.

4. Accordingly, the Cadre Controlling Offices are requested to take up the issue regarding training plan/module for training of eligible Assistant Accounts Officer/Assistant Audit Officer with the Training Wing of Headquarters' Office and train them, so that they can be considered for promotion to the post of Sr. Accounts Officer/Sr. Audit Officer as per revised Recruitment Rules.

5. The receipt of this circular may be acknowledged.

Yours faithfully,

Encls: As above

(V. S. Venkatanathan)
Assistant Comptroller and Auditor General (N)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 677] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 20, 2019/कार्तिक 29, 1941
No. 677] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 20, 2019/KARTIKA 29, 1941

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2019

सा.का.नि.860(अ).—राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात्, संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग(वरिष्ठ लेखा/वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी) भर्ती नियम, 2002, भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग[वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (वाणिज्यिक)]भर्ती नियम, 2002 और भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग (लेखा अधिकारी और लेखापरीक्षा अधिकारी) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2016 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है,भारतीय लेखापरीक्षा और लेखाविभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में वरिष्ठ लेखा अधिकारी/वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय लेखापरीक्षा और लेखाविभाग, (वरिष्ठ लेखा अधिकारी और वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2019 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-**उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, और अर्हताएं आदि-**भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता-वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है;या विवाह की संविदा की हैं;या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की सविदा की हैं;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा ।

5. शिथिल करने की शक्ति-जहां भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगा।

6. व्यावृत्ति-इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचितजातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों,भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम ।	**पद की संख्या ।**	**वर्गीकरण ।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर ।**	**चयन पद अथवा अचयन पद ।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा ।**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
1. वरिष्ठ लेखा अधिकारी।	735* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर-10 (रु० 56100-177500) ।	चयन।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा मे लागू होंगी या नहीं ।**	**परिवीक्षा की अवधि,यदि कोई हो ।**	**भर्ती की पद्धति:भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।**
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष ।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।
(11)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8(रु.47600–151100)में ऐसे सहायक लेखा अधिकारी जिसनेसात वर्ष की नियमित सेवा, वेतन मैट्रिक्स के स्तर-9 (रु.53100–167800)के अकृत्यिक उन्नयन कार्यालय ग्रेड में प्रदान की गई सेवा सहित,की हैऔर जिन्होंने विभाग द्वारा यथा निर्धारित दो से चार सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो ।

टिप्पण :- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है,प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतरश्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

प्रतिनियुक्ति :

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन में कार्यरत ऐसे अधिकारी:-

(क)(i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या

(ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-9 (रु.53100–167800)या समतुल्य में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; या

(iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (रु.47600–151100)या समतुल्य में सात वर्ष नियमित सेवा की हो।

(ख) निम्नलिखित अनुभव और अर्हताएँ रखता हो अर्थात;

(i) केंद्रीय सरकार के अधीन संगठित लेखा विभाग द्वारा आयोजित अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण; या

(ii) जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थानमें रोकड़ और लेखा कार्य में या समतुल्य में प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और जिनके पास किसी विभाग या संगठन के वित्त या लेखा प्रभाग के बजट कार्य में पाँच वर्ष का अनुभव है ।

टिप्पण 1:पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पण2:प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयुसीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है,तो उसकी संरचना ।	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों मे संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।**
(12)	**(13)**
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. अध्यक्ष या सदस्य- संघ लोक सेवा आयोग, **-अध्यक्ष** 2. प्रधान महालेखाकार या महालेखाकार; और **-सदस्य** 3. संबंधित काडर के प्रमुख। **- सदस्य** **विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-** 1. प्रधान महालेखाकार या महालेखाकार, **-अध्यक्ष** 2. महानिदेशक या प्रधान निदेशक या समकक्ष; और **-सदस्य** 3. वरिष्ठ उपमहालेखाकार या उप महालेखाकार। **- सदस्य**	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना प्रत्येक अवसर पर आवश्यक है ।

(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
2. वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी।	4775* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर –10 (रु० 56100-177500) ।	चयन।	लागू नहीं होता।

(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष ।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8(रु.47600–151100)में ऐसे सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी जिसने सात वर्ष की नियमित सेवा, वेतन मैट्रिक्स के स्तर-9 (रु.53100–167800)के अकृत्यिक अन्नयन ग्रेड में प्रदान की गई सेवा सहित,की हैऔर जिन्होंने विभाग द्वारा यथा विहित दो से चार सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो । **टिप्पण :**जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में**,** जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है**,**प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो**,** वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा**,** अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से**,** इनमें से जो भी कम हो**,** कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित**,** जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है**,** अगली उच्चतरश्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **प्रतिनियुक्ति:** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघराज्य क्षेत्र के प्रशासन में कार्यरत ऐसे अधिकारी**:-** (क)(i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-9 (रु.53100–167800)या समतुल्य मेंदो वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (रु.47600–151100)या समतुल्य में सात वर्ष नियमित सेवा की हो। (ख) निम्नलिखित अनुभव और अर्हताएँ रखता हो अर्थात; (i) केंद्रीय सरकार के अधीन संगठित लेखा विभाग द्वारा आयोजित अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण; या (ii) जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थानमें रोकड़ और लेखा कार्य में या समतुल्य में प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और जिनके पास किसी विभाग या संगठन के वित्त या लेखा प्रभाग के बजट कार्य में कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव है । **टिप्पण 1:**पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।इसीप्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण2:**प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों मे संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	**(13)**
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. अध्यक्ष या सदस्य- संघ लोक सेवा आयोग, **-अध्यक्ष** 2. प्रधान महालेखाकार या महालेखाकार; और **-सदस्य** 3. संबंधित काडर के प्रमुख। **- सदस्य** **विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-** 1. प्रधान महालेखाकार या महालेखाकार, **-अध्यक्ष** 2. महानिदेशक या प्रधान निदेशक या समकक्ष; और **-सदस्य** 3. वरिष्ठ उपमहालेखाकार या उप महालेखाकार । **- सदस्य**	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना प्रत्येक अवसर पर आवश्यक है ।

[फा.सं. ए-12018/01/2013-ई.जी.]

ऐनी जॉर्ज मैथ्यू, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th November, 2019

G.S.R. 860(E).—In exercise of the powers conferred by clause (5) of article 148 of the Constitution and in supersession of the Indian Audit and Accounts Department (Senior Accounts / Senior Audit Officer) Recruitment Rules 2002, the Indian Audit and Accounts Department [Senior Audit Officer (Commercial)] Recruitment Rules 2002 and the Indian Audit and Accounts Department (Accounts Officer and Audit Officer) Group 'B' post Recruitment Rules, 2016, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President, after consultation with the Comptroller and Auditor General of India, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Senior Accounts Officer and Senior Audit Officer in the field offices of the Indian Audit and Accounts Department, namely:-

1. **Short title and commencement. -** (1) These rules may be called the Indian Audit and Accounts Department, Senior Accounts Officer and Senior Audit Officer Group 'A' posts Recruitment Rules, 2019.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix.-** The number of said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.-** No person,-

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said posts:

   Provided that the Comptroller and Auditor General of India may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax .-** Where the Comptroller and Auditor General of India is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving .-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in Pay Matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age limit for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
1.Senior Accounts Officer.	735 * (2019) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level - 10 (Rs. 56100-177500).	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Not applicable.	Not applicable.	Two years.	By promotion failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.**
(11)	**(12)**	**(13)**
Promotion: Assistant Accounts Officer in Level - 8 (Rs. 47600-151100) of the pay matrix with seven years of regular service including service rendered in non-functional grade of Level - 9 (Rs. 53100-167800) of the pay matrix and has successfully completed mandatory training of two to four weeks in the field as prescribed by the department. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Officers working in the Central Government or State Government or Union territories Administration: (A) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years of regular service in level - 9 (Rs. 53100-167800) of pay matrix in the grade or equivalent; or (iii) with seven years of regular service in level - 8 (Rs. 47600-151100) of pay matrix in the grade or equivalent;	**Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** (1) Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairperson; (2) Principal Accountant General or Accountant General or equivalent - Member; and (3) Head of the concerned cadre - Member. **Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** (1) Principal Accountant General or Accountant General – Chairperson; (2) Director General or Principal Director or equivalent –Member; and (3) Senior Deputy Accountant General or Deputy Accountant General - Member.	Consultation with the Union Public Service Commission necessary on each occasion.

and; (B) possessing the following qualification and experience namely:- (i) A pass in Subordinate Accounts Service or equivalent examination conducted by the organised Accounts Department of the Central Government; or (ii) successful completion of training in cash and accounts work in the Institute of Secretariat Training and Management or equivalent training course and a minimum of five years experience in finance or budgeting of Accounts Division of any department or organisation. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
2. Senior Audit Officer	4775* (2019) * Subject to Variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non- Ministerial.	Level - 10 (Rs. 56100-177500).	Selection.	Not applicable.

(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Not applicable.	Not applicable.	Two years.	By promotion failing which by deputation.

(11)	**(12)**	**(13)**
Promotion: Assistant Audit Officer in Level - 8 (Rs. 47600-151100) of the pay matrix with seven years of regular service including service rendered in non-functional grade of Level - 9 (Rs. 53100-167800) of the pay matrix and has successfully completed mandatory training of two to four weeks in the	**Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** (1) Chairman or Member, Union Public Service Commission – Chairperson; (2) Principal Accountant General or Accountant General or equivalent – Member; and (3) Head of the concerned cadre - Member.	Consultation with the Union Public Service Commission necessary on each occasion.

field as prescribed by the department. **Note:** Where juniors who have completed qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Officers working in the Central Government or State Government or Union territories Administration: (A) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years of regular service in level - 9 (Rs. 53100-167800) of pay matrix in the grade or equivalent; or (iii) with seven years of regular service in level – 8 (Rs. 47600-151100) of pay matrix in the grade or equivalent; and; (B) possessing the following qualification and experience namely: (i) A pass in Subordinate Accounts Service or equivalent examination conducted by the organised Accounts Department of the Central Government; or (ii) successful completion of training in cash and accounts work in the Institute of Secretariat Training and Management or equivalent training course and a minimum of five years experience in finance or budgeting of Accounts Division of any department or organisation. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.	**Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** (1) Principal Accountant General or Accountant General – Chairperson; (2) Director General or Principal Director or equivalent – Member; and (3) Senior Deputy Accountant General or Deputy Accountant General - Member.	

Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. A-12018/01/2013-EG]

ANNIE GEORGE MATHEW, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.